

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2009-10

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
समस्त राजस्थान।

19 OCT 2010


विषय-एमआईएस का कार्य के आउट सोर्सिंग के संबन्ध में।
संदर्भ:-कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 09.08.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा एमआईएस का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गयी सीएससी (कॉमन सर्विस सेन्टर) के माध्यम से कराये जाने हेतु दरों का निर्धारण किया गया था।

विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से नियोजित किये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये है। अभी भी अधिकतर ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन का नियोजन नहीं किया जा सका है एवं एमआईएस की प्रगति भी अपेक्षित रूप से नहीं हो पायी है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के नियोजित नहीं होने तक एमआईएस का कार्य संदर्भित पत्र के अनुसार अनुमोदित दरों तक सीएससी के माध्यम से अथवा सीएससी नहीं होने/सीएससी द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में किसी बाहरी अन्य एजेन्सी से भी कराये जा सकते हैं।

भवदीय


(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस